

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-01, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में "नियोजन सेवा का विस्तार" स्कीम अन्तर्गत ₹5,99,99,000/- (रुपये पाँच करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "नियोजन सेवा का विस्तार" स्कीम के तहत वित्त विभाग के बिहार विनियोग अधिनियम 2026 पत्रांक-संख्या-ब.15/बी०एस०जी०-04/2026-191/वि० दिनांक-16.02.2026 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत ₹5,99,99,000/- (रुपये पाँच करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(A) ₹4,00,00,000/- (रुपये चार करोड़) मात्र राज्य के 38 जिलों में स्थापित अवर प्रादेशिक नियोजनालय/विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना सहित एवं जिला नियोजनालयों द्वारा Electrician/Fitter/Mobile Repair/Beautician/Plumber/Electronic Repair/Home Appliances Repair/Sewing Machine Operating इत्यादि में व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को स्वरोजगार हेतु सहायतार्थ संबंधित ट्रेड का Tool kit उपलब्ध कराने पर राशि का व्यय किया जाएगा। टूल किट का अधिकतम मूल्य ₹15,000/- (पंद्रह हजार) मात्र होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा :-

- I. बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹3,00,000/- मात्र हो तथा नियोजनालय में न्यूनतम छः माह पूर्व से निबंधित हो, इस योजना के पात्र होंगे। लाभुकों के चयन में निबंधन की वरीयता को प्रथमिकता दी जायेगी। साथ ही अभ्यर्थी जिस जिले के स्थायी निवासी है, उस जिले से संबंधित नियोजनालय से ही टूल किट प्राप्त करेंगे।
- II. अभ्यर्थी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन माह का सम्बद्ध ट्रेड में प्रशिक्षित एवं उम्र सीमा 18-40 वर्ष अंतर्गत होना चाहिए।
- III. RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY, DDUGKY इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त (तीन माह से कम) एवं RPL (Recognition of Prior Learning) के तहत नियमानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी टूल किट प्राप्त करने हेतु योग्य होंगे।
- IV. लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जायेगी।
- V. अभ्यर्थी को नियोजन पक्ष द्वारा संचालित स्टडी किट एवं टूल किट योजना में से केवल एक योजना का लाभ दिया जायेगा। साथ ही पूर्व में स्टडी किट/टूल किट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- VI. लाभुकों का चयन संबंधित उप निदेशक (नियोजन) की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति, जिसमें संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन), नियोजनालय के जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी सदस्य होंगे, द्वारा किया जायेगा।
- VII. लाभुकों से स्वघोषित प्रमाण पत्र इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि वे स्वरोजगार के लिए इच्छुक हैं तथा टूल किट प्राप्त करने के उपरांत स्वरोजगार हेतु उपयोग किया जायेगा। इसके साथ ही संबंधित पदाधिकारी द्वारा लाभुको को प्राप्त टूल किट का उपयोग स्वरोजगार हेतु किया जा रहा है अथवा नहीं का समय-समय पर अनुश्रवण भी किया जायेगा एवं Success Story निदेशालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- VIII. मानक टूल किट का क्रय विभाग द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से या जेम पोर्टल के माध्यम से वित्तीय नियमानुसार ही किया जाएगा।
- IX. टूल किट वितरण से पूर्व उसकी जाँच संबंधित उप निदेशक (नियोजन) द्वारा की जाएगी एवं टूल किट से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

X. टूल किट का वितरण संबंधित उप निदेशक (नियोजन) की उपस्थिति में की जाएगी। संबंधित कार्यालय प्रधान अपने उप निदेशक (नियोजन) से टूल किट वितरण की तिथि एवं समय निर्धारण कराएंगे।

XI. इस योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(B) ₹1,99,99,000/- (रुपये एक करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय पर राज्य में स्थापित कार्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमावली 2005 एवं क्रय संबंधी सभी वित्तीय नियमावली के सुसंगत नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री, फर्नीचर इत्यादि का क्रय किया जायेगा।

3. यह चालू स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष- "2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएं, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएं, उपशीर्ष-0118-नियोजन सेवा का विस्तार, मांग संख्या-53, विपत्र कोड संख्या-53-2230.02.101.0118 चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत कंडिका-A से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष-0118.13 01 कार्यालय व्यय एवं B से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष 0118.21 01 सामग्री एवं पूर्तियां मद से विकलनीय होगा।

4. यह चालू योजना है। गत वर्ष इसकी स्वीकृति विभागीय पत्रांक-517 दिनांक-22.05.2025 एवं पत्रांक-86 दिनांक-20.01.2026 द्वारा दी गई है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा उप निदेशक (नियोजन)/सहायक निदेशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी होंगे।

6. इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्ब्य एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, 380/वि0 दिनांक-20.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य नियमों द्वारा दिये गये दिशा-निदेश के अनुसार समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) के तहत निर्गत किया जायेगा।

8. उक्त में माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अनुमोदन संचिका सं0-02/यो0-5005/2026 के पृ0-.....07...../टि0 पर प्राप्त है।

9. उक्त में सचिव की सहमति संचिका सं0-02/यो0-5005/2026 के पृ0-.....07...../टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(शंकर दयाल)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या:-02/यो0-5005/2026-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिलों के जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी वि0 वि0 नि0 सू0 एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या:-02/यो0-5005/2026-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव